



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-735/53

रायपुर, दिनांक 05/01/2019

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल, कोण्डागांव
छत्तीसगढ़

- विषय:** - **Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Kendriya Vidhyayalaya Area 4.00 ha. reg**
पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Sch/ 32243/ 2018
- संदर्भ:** - मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्र/मा.चि./ न. क्र./ 2018/ 2859 दिनांक 16.11.2018
= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आवेदनकर्ता, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र दहीकोंगा के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-794 में 4.00 हे. वन भूमि केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के माध्यम से अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है:

1. उक्त प्रस्ताव में कलेक्टर कोण्डागांव का केन्द्रीय विद्यालय हेतु गैर वन भूमि की अनुपलब्धा संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
2. प्रकरण स्थल विशेष का नहीं होने पर तीन विकल्प का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना होता है। तीन विकल्पों का तुलनात्मक विवरण मानचित्र में दर्शाकर संलग्न किया जावे।

उपरोक्तानुसार जानकारी मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

(एस.एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-735/54

रायपुर, दिनांक 05/01/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर छत्तीसगढ़।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोण्डागांव।

वर्तमान में किसी भी प्रकार के वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
01/ छत्तीसगढ़